

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद चमोली में अल्मोड़ा-बैजनाथ-कर्णप्रयाग मार्ग के कि०मी० 100 गुडम स्टेट से विजयपुर मोटर मार्ग — 3.71 है० सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/9773/2015)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बद्दीनाथ वन प्रभाग में 3.71 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

~~अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी~~

सरकारी मोहर: वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

तिथि : 18/02/2015

स्थान: देहरादून